

शिव
26/11/2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

नायब उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
खासीराम पुत्र गणेशराम जाति जाट का. करालपुरा	बी म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 244 / 2021

GCMS No. 2021 / 986

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुकम की
तारीख में जारी
हुए

26.11.2021

वादी श्री खासीराम पुत्र गणेशराम
जाति जाट निवासी करालपुरा द्वारा आज "प्रशासन
गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत शिक
में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2074
ग्राम करालपुरा पटवार मण्डल शिक के खाता
नम्बर 5 में वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि
खीसाराम पुत्र गणेशराम
दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम खासीराम पुत्र गणेशराम
है, तथा इसी अनुसार
राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है।
जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न.
आधार नम्बर 7.8.16.01076842
मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज
की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी शिक भू.अ.नि चित्तवा
एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट
तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं
प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार
राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये
जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।
पश्चावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर
हो।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)



1525-2021